फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

01. नसीम कुरैशी पुत्र स्व. सलामुदीन कुरेशी उम्र वर्ष जाति बिसायतीयान (मुसलमान) निवासी गांव राजगढ जिला चुरू हाल निवासी 103, एचडीसी अपार्टमेंट आदेर्श नगर मोती डूगरी रोड़ जवाहर नगर, जयपुर।

02. महबूब अली पुत्र सलामुदीन कुरेशी उम्र वर्ष जाति बिसायतीयान (मुसलमान) निवासी वार्ड 12 बिसायती मौहल्ला गांव तारानगर जिला चुरू।

बनाम

01. प्राधिकृत अधिकारी एस.डी.एम तारानगर भूमि रूपांतरण नगरपालिका तारानगर जरिये पैरोकार राजस्थान।

02. प्रशासक नगरपालिका, तारानगर जरिये पैरोकार।

03. कार्यवाही अधिकारी(ईओ) नगरपालिका तारानगर।

04. श्रीमान थानाधिकारी संबंधित ऐरिया तारानगर।

05. मोहम्मद इलियास पुत्र हुसैन मोहम्मद निवासी वार्ड नं. 13 ग्राम तारानगर चुरू।

किस्म मुकदमा : अपील एल.आर.एक्ट

अपील संख्या 10/2025

GCMS No. 2025/295

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख आदकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 श्री संन्तनाथ योगी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2026 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा नंबर 875/423 तादादी 1.51 हैक्टर भूमि जो आबादी के चिपते है, उक्त भूमि मौके पर कृषि भूमि के उपयोग में नही आ रही हैं, क्योकि उक्त भूमि आबादी एरिया में आ गई है। उक्त वादगत भूमि मे से प्राथी/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने दिनांक 20.09.2021 को जरिये इंकरारनामा तादादी 0.2529 हैक्टयर भूमि खरीद की थी, जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का रिहायशी मकान बना है व पानी–बिजली के कनेक्शन ले रखे है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 परिवार सहित उक्त भूमि पर निवास कर रहा है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा उक्त भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाने हेतु कन्वर्जन की कार्यवाही भी प्रस्तुत कर रखी है। अपीलांट नसीम कुरैशी का उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा व अधिकार निहित नहीं है। उक्त भूमि की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर जिला चुरू द्वारा दावा के तहत दिनांक 13.09.	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2021 को कुम्भाराम के हक में खातेदारी प्रदान की है। उक्त वादगत भूमि को अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके न्यायालय हाजा द्वारा रिसीवर नियुक्त करवाया गया है, जबकि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार हासिल नही है तथा ना ही अपीलाधीन आदेश से अपीलांट पीड़ित पक्षकार है तथा ना ही अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। उक्त विवादित भूमि बाबत् न्यायालय सिविल न्यायाधीश तारानगर द्वारा मोहर सिंह बनाम कुम्भाराम मे दिनांक 09.05.2025 को यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं। न्यायालय द्वारा जो रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है उक्त आदेश के तहत उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीगण को रिहायशी मकानों के पुलिस थाना तारानगर जिला चुरू द्वारा बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। यदि प्रार्थी व उसके परिवार को रिहायशी मकान से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी का परिवार बेघर हो जायेगा। प्रथम दृष्ट्या मामला के प्रावधान व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक व पक्ष में धारा 212 आरटी एक्ट के प्रावधान उक्त एलआर एक्ट की अपील में लागू नहीं होते है। उक्त आदेश क्षेत्राधिकार व कानून के विपरित होने के कारण रिकॉल करने योग्य हैं। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.02.2026 को उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है उक्त आदेश को रिकॉल करने का आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी नसीम कुरैशी ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में गलत बयानी होने से स्वीकार नही है, मौके पर कोई आबादी आबाद नहीं है। अपीलांट अपनी भूमि को जो आबादी में परिवर्तन के खिलाफ श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी मोहम्मद इलियास ने पूर्व में जरिये इकरारनामा दिनांक 27.01.2022 को तीन बीघा भूमि उक्त दोनों खसरों मे से दिलीप कुमार को विक्रय कर दी तथा उक्त दलीप कुमार ने अपीलांट को उक्त तीन बीघा भूमि दिनांक 11.07.2024 को विक्रय कर दी, जिसका कब्जा अपीलांट के पास है। इसके आलावा मोहम्मद इल्यास जरिये इकरारनामा दिनांक 12.04.2022 को उक्त कुल भूमि में से 30 प्रतिशत हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट महबूब अली को विक्रय कर दी तथा साथ में पूरी भूमि का कब्जा भी अपीलांट को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी इलियास के कब्जे में कोई भूमि शेष नही रही। प्रार्थना–पत्र के पैरा 3, 4 व 5 गलत बयानी होने पर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्वीकार नहीं है। मोहम्मद इलियास जबरदस्ती उक्त भूमि पर काबिज होना चाहता है तथा नसीम कुरैशी व महबुब अली को भूमि से बेदखल करना चाहता है। ऐसी करके वह अपीलांट की भूमि को खुद बुर्द करना चाहता है इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया हैं। मोहर सिंह बनाम कुम्भाराम एक अलग सिविल वाद है जिससे प्रार्थी मोहम्मद इलियास पक्षकार नहीं है। मोहम्मद इलियास ने पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है। प्रार्थी के पास जितनी भूमि थी उसनें उससे ज्यादा भूमि फर्ज कारी करते हुए विक्रय कर दी है फिर भी वह भूमि पर काबिज होने का प्रयास प्रार्थना–पत्र की आड में कर रहा हैं। श्रीमान जी द्वारा पारित रिसीवर के आदेश दिनां 02.02.2026 पालना मे अपीलांट ने अपने कब्जे सुदा भूमि पुलिस थाना तारानगर का रिसीवर हेतु सुपुर्द कर दी थी, उक्त आदेश रिकॉल किया जाता है तो अपीलांट को उक्त भूमि वापस कब्जे में सुपुर्द करने का आदेश पारित किया जाना होगा। इसके अभाव मे मौके पर प्रार्थी झगड़ा फसाद कर सकता है जिससे विवाद और बढेगा। इस कारण उक्त आदेश को रिकॉल नही किया जाना न्यायहित में होगा। सिविल वाद संख्या 22/2021 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर मे मोहर सिंह बनाम कुम्भाराम एवं तहसीलदार के नाम विचाराधीन है। जो कि स्टे 875/423 मात्र 6 बीघा पर किया हुआ है न कि सम्पूर्ण भूमि 12.01 बीघा पर है। जिसमें आपके द्वारा 875/423 व 874/423 दोनों खसरों को कुर्क भूमि पर ही लागू है। विवादित कृषि भूमि के खसरा नंबर 874/423 व 875/523 में से 3 बीघा कृषि भूमि अपीलांट को विक्रय की गई तथा अपीलांट संख्या 2 को 2 बीघा 17 बिस्वा विक्रय की गइ। जिसमें आज तक अपीलांट्स का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार कुछ भूमि मो. इलियास ने दो इकरारनों दिनांक 25.08.2022 को मोहम्मद फारूख पुत्र श्री मामदीन को बैय की गई थी, तथा रेस्पोडेन्ट संख्वया 3 के जवाब के पैरा नंबर 1 में अंकित है कि ईलियास का कुछ ही हिस्से पर कब्जा बताया गया है, जो गलत है। विवादित खसरों की भूमि अपीलांट के कब्जे में है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अध्यक्ष नगरपालिका ने भी अपने जवाब में अपीलांट्स का कब्जा सीकार किया है तथा श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर ने अपने पत्र क्रमांक 875/423 के उत्तर–पूर्व के कौने मे कब्जा माना है जबकि वास्तव में मो. ईलियास का कोई कब्जा नही था जो कि विवाद होने पर तथा अपीलाट्स द्वारा रिसीवर को अपना

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कब्जा सुपूर्द करने के बाद किया है। चुंकि श्रीमान थानाधिकारी, तारानगर को रिसिवर नियुक्त करने पर अपीलांट्स ने अपना कब्जा थानाधिकारी तारानगर को सुपुर्द कर दिया था। जबकि रेस्पोडेन्ट न. 5 ने कब्जा थानाधिकारी को सुपुर्द ना करते हुए स्वंय एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में कुर्की तोडी जाती है तो विाद होने की स्थिति उत्पन हो सकती हैं। यदि श्रीमान जी द्वारा कुर्की तोडने का आदेश दिया जाता है तो अपीलांट्स के दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट्स को ही खरीदशुदा सम्पूर्ण भूमि का कब्जा जरिये श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अक्षीक्षक राजगढ़ जिला चूरू के द्वारा मयपुलिस जाब्ता के सुपुर्द किया जावे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो तथा मो. ईलियास का कोई हक व हिस्सा नहीं होने के कारण कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सकता है क्योकि मो. ईलियास के द्वारा पर्वू में ही सम्पूर्ण जमीन बेच चुका है। सिविल कोर्ट ने इलियास की आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना–पत्र खारिज कर रखा है और इलियास ने विवादित भूमि को जरिये इंकरारनामें के विक्रय कर दी इस कारण इलियास का कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत दिनांक 02.02.2026 के रिसिवर नियुक्त करने के आदेश को रिकॉल करने का खारिज फरमाया जावें। अपीलांट ने अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया।

1 आरआरडी 2001 पेज 515 अनवान रामपाल बनाम भोरियां वगै.
2 आरआरडी 1978 पेज 624 अनवान ओंकारलाल बनाम बसंतीलाल
3 आरआरडी 1995 पेज 788 अनवान लक्ष्मण बनाम राजस्थान सरकार

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तारानगर का आदेश दिनांक 23.09.2021 नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तारानगर के आदेश दिनांक 23.09.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझतें है।

उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नगर पालिका तारानगर ने अपने जवाब में वादगत भूमि पर अपीलाट्स का कब्जा बताया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर दिया है। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी तारानगर द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा होने से इंकार नही किया जा सकता, की टिप्पणी की गईं जिसके आधार पर जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रापक नियुक्त किया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी के तहत दिनांक 02.02.2026 के रिसीवर आदेश को रिकॉल करने का प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं बहस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रिसीवर आदेश दिनांक 02.02.2026 प्रत्याहारित किया जाता है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स एवं अन्य केता के दस्तावेजों, साक्ष्यों, नजरीया नक्शा के आधार पर अपीलांट्स एवं अन्य क्रेता को उसकी अलग अलग ईकरारनामें से खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 874/423 व 875/423 में से से 3 बीघा, 2 बीघा 17 बिस्वा तथा 1 बीघा का कब्जा सुपुर्द किया जावें।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर